न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 149/2020

उनवान

रामदेव पुत्र सुगना जाति रेगर निवासी ग्राम लोहरवाडा, नसीराबाद
––वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. तीजा,
2. काली,
3. मंजू,
4. डबली,
5. मनभर,
6. रन्जू,
7. सुनिता,
8. लक्ष्मी,
9. मोड सिंह ना0बा0 पि0 नाथूलाल जरियें प्राकृतिक संरक्षक बहिन लक्ष्मी जाति सांसी नि0 ग्राम लोहरवाडा, नसीराबाद,
10. उप पंजीयक, नसीराबाद,
11. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादीगण :– 1 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 22.12.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा की निम्न आराजी वादी के पिता सुगना पुत्र दयाल द्वारा दिनांक 05.01.1971 को तत्कालीन खातेदार श्योचन्द पुत्र जीवण से कय की गयी है :–

चौसाला खसरा नम्बर	वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
2974	3393	4–0–0	746	0.45
			903/5946	0.08
			[illegible]46/5692	0.12
	3394	[illegible]6–[illegible]	745	0.23
			7[illegible]/5693	0.23

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:15:27 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आराजी के केता सुगना पुत्र [illegible] की मृत्यु [illegible] है जिसके वारिस [illegible] है। विकेता श्योचन्द व उसके पुत्र नाथू की भी मृत्यु हो गयी [illegible] जिसके वारिस प्रतिवादी [illegible] 1

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

से 9 है। आराजी मुतनाजा पर केता/वादी का कय दिनांक से कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी वर्किंग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में केता/वादी के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरी से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 प्रकरण में अनुपस्थित रहे व राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण का कोई खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली वा उपलब्ध दस्तावेज अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 2974 में से 5–0–0 भूमि तत्कालीन खातेदार श्योचन्द पुत्र जीवण द्वारा जरियें पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 17.02.71 को वादी के पिता सुगना पुत्र दयाल को बैचान कर कब्जा व दखल सौप दिया था। चौसाला खसरा नम्बर 2974 के वंर्किग खसरा नम्बर 3393 रकबा 2–15–0, 3394 रकबा 1–8–0, 3395 रकबा 1–0–0 व 3398 रकबा 1–2–0 बने है। वंर्किग खसरा नम्बर 3393 मिन रकबा 2–15–0 व 3394 मिन रकबा 1–8–0 विकेता के पुत्र नाथूलाल पुत्र श्योचन्द के नाम तथा वंर्किग खसरा नम्बर 3393 मिन रकबा 1–5–0, 3394 मिनन रकबा 1–8–0 नाथू, भूरा पि. श्यसेचन्द के नाम दर्ज है। इसी प्रकार हाल खसरा नम्बर 745/0.23 व 746/0.45 प्रतिवादी संख्या 1 से 9 व सुन्दर पत्नी नाथूलाल के नाम खातेदारी दर्ज है। शेष हाल खसरा नम्बर प्रतिवादी संख्या 1 से 9, सुन्दर पत्नी नाथूलाल के नाम 1/2 हिस्सा व भूरा पुत्र श्योचन्द के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। वादी द्वारा प्रकरण में रामदेव पुत्र छोटू जाति जाट नि. लोहरवाडा का शपथ पत्र पेश किया है जिसके अनुसार सुन्दर पत्नी सांवरलाल की मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान खातेदार के पूर्वजों ने आराजी मुतनाजा में से 5–0–0 भूमि विकय की थी। उक्त विकय पपत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। तत्कालीन खातेदार ने भूमि की प्रतिफल राशि प्राप्त कर भूमि का बैचान किया है व कब्जा केता को सुपुर्द कर दिया है। वर्तमान खातेदार का विकयशुदा आराजी पर कोई हक व अधिकार शेष नही रहा है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा वादी के पिता की विधिक कयशुदा सिद्व होती है। वादी के पिता द्वारा आराजी मुतनाजा में से 5–0–0 भूमि ही कय की है। पूर्व में आराजी मुतनाजा का [illegible] 2974 [illegible] जिसके वर्तमान में 5 हाल खसरा नम्बर बने है। वादी ने वाद विचारण के [illegible] पत्र पेश कर निवेदन किया कि उसका कब्जा हाल खसरा नम्बर [illegible] वादी द्वारा प्रकरण में भूरा पुत्र श्योचन्द को पक्षकार नही ब[illegible] खसरा नम्बर पर प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:15:27 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 से 9 व सुन्दर पत्नी नाथूलाल के हिस्से पर खातेदार प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 745 रकबा 0.23, 746 रकबा 0.45 व 745/5693 रकबा 0.23 की आराजी पर वादी का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त अराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 9 व सुदर पत्नी नाथूलाल के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:15:27 IST
Reason: SelfAttested